न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–193/2021/225 आर.टी.एक्ट (2021/193)

1. रामनिवास पुत्र श्री हरदीनराम जाति जाट निवासी बांठडी तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1. रेखाराम पुत्र रामदीन
2. जेताराम पुत्र रामदीन फौत के कायम मुकामान
   2/1 साउदी पत्नी स्व0 जेताराम
   2/2 भंवराराम पुत्र स्व0 जेताराम।
   2/3 मनीराम पुत्र स्व0 जेताराम।
   2/4 पतासी पुत्री स्व0 जेताराम।
   2/5 मंजु पुत्री स्व0 जेताराम।
   जातियान जाट निवासीगण बांठडी तहसील डीडवाना जिला नागौर।
3. चेनाराम पुत्र रामदीन
   जातियान जाट निवासीगण बांठडी, तहसील डीडवाना जिला नागौर।
4. झुमरराम पुत्र शिवकरण
5. हेमाराम पुत्र हरदीनराम
6. शिवराज पुत्र नन्दाराम
7. मेहराम पुत्र नन्दाराम
8. शांति पत्नी नन्दाराम
9. पुसाराम पुत्र रामूराम फौत के कायम मुकामान–
   9/1 तेजाराम पुत्र पुसाराम
   9/2 सुलतान पुत्र पुसाराम
   9/3 भंवरी पुत्री पुसाराम
   9/4 लिछमा पुत्री पुसाराम
   9/5 गीता पुत्री पुसाराम
   9/6 मुन्नी पुत्री पुसाराम
   9/7 अन्नी पत्नी पुसाराम
   9/8 कमली पुत्रवधु पुसाराम पत्नी बलदेव
   9/9 शिवराज पौत्र पुसाराम पुत्र बलदेव
   9/10 विनोद पौत्र पुसाराम पुत्र बलदेव
10. हनुमानराम पुत्र रामूराम
11. लालाराम पुत्र डूंगाराम
12. घासीराम पुत्र अर्जुनराम
    समस्त जाति जाट, निवासीगण बांठडी तहसील डीडवाना जिला नागौर, राजस्थान
13. किरण पत्नी विनोद जाति जाट निवासी खुनखुना तहसील डीडवाना जिला नागौर।
14. तहसीलदार डीडवाना जिला नागौर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डिडवाना विरूद्व निर्णय दिनांक 22.06.2018 राजस्व वाद संख्या 69/2010

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

उपस्थितः–

1. श्री एस.पी. सहदेव चौधरी, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 14
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 2, 4 से 13 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–01.11.2022

1. यह अपील प्रकरण संख्या 69/2010 में पारित आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डिडवाना के विरूद्ध दिनांक 22.06.2018 को इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 वादीगण/प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद तथा अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थन पत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है तथा जगाराम के दो पुत्र शिवकरण व छोटूराम जिनका निधन हो चुका है तथा विवादित आराजीयात वादीगण व प्रतिवादीगण 1 लगायत 8 के नाम रिकर्ड में दर्ज है तथा उक्त आराजीयात पर शिवकरण व छोटूराम का ही कब्जा रहा है तथा शिवकरण की मृत्यु के वाद हरदीनराम, झूमरराम व छोटूराम के पुत्र रामदीन भी संयुक्त काश्त करते थे तथा शिवकरण की मृत्यु के पश्चात छोटूराम जोकि उस समय नाबालिग था का नाम जमावंदी में दर्ज नहीं हो पाया तथा रामदीन की मृत्यु होने पर विवादित आराजीयात प्रतिवादी झूम्मी वादीगण की खातेदारी के नाम दर्ज हो गई लेकिन प्रार्थीगण/वादीगण व प्रतिवादी संख्या 7 की खातेदारी 1/3 हिस्सा दर्ज होनी चाहिए थी लेकिन गलती से वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज नहीं कि गई उक्त आश्य का राजस्व वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिस बावत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष लंवित अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को दिनांक 4.8.2010 को स्वीकार करने का आदेश प्रदान कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट असंतुष्ट होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।
3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की वहस सुनी गई।
4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निवदेन किया कि अपीलांट इसी विश्वास में रहा कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जवाव के जरिए वस्तु स्थिति स्पष्ट हो गई थी तथा एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा मात्र आगामी पेशी तक थी जो स्वतः निरस्त होगई होगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ व विस्तारित की आदेशिका दर्ज नहीं हुई तथा प्रकरण में पृथक से मेरिट पर कोई निर्णय नहीं करते हुए आदेशिका में ही दिनांक 22.06.2018 को निर्णय करवाते हुए पूर्व में पारित अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म कर दिया यानि रेकार्ड की यथास्थिति का आदेश कर दिया जवकि रेकार्ड में प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट रेखाराम, जेताराम चेनाराम व झुमि के नाम गलत दर्ज हो रखे हैं लेकिन रेकार्ड की यथास्थिति के आदेश की आड़ में उक्त रेखाराम वगैरा अपीलांट व दीगर रेस्पोडेंट के कब्जासुदा खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा कर अवैध निर्माण करने हेतु हाल ही में दखलअंदाजी शुरू की तो अपीलांट व दीगर रेस्पोडेंट ने उनको ऐसा करने से मना किया तो उन्होंने बताया कि

दिनांक 22.06.2018 को उन्होंने अपने पक्ष में रेकार्ड की यथास्थिति का फाईनल आदेश कोर्ट से करवा लिया है तब अपीलांट को आश्चर्य हुआ व अधिवक्ता से सम्पर्क कर पत्रावली की खोजबीन करवा कर नकलों का आवेदन किया जिस पर पत्रावली की प्रमाणित प्रतियां दिनांक 12.06.2020 को प्राप्त होने पर सर्वप्रथम इस आदेश की जानकारी हुई तत्पश्चात दिनांक 13 व 14.06.2020 को शनिवार व रविवार का अवकाश आ गया और दिनांक 15.6.2020 को अपीलांट को अपील की कानूनी सलाह मिलने पर अपील की तैयारी करके नागौर आया अधिवक्ता नियुक्त कर सारे हालात बताए व शाम तक अपील तैयार हुई व बिना किसी देरी के आज दिनांक 16.06.2020 को अपील पेश की जा रही है जिसे उपरोक्त परिस्थितियों में देरी माफ कर अंदर मियाद शुमार किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 व झुमि ने आपस में दुरभिसंधी कर रखी है तथा गलत म्यूटैशन संख्या 7133 के कारण उतरोत्तर जो गलत खातेदारी इंद्राज हो रखे है उसको आधार बनाकर मियाद बाहर व विधि विरूद्ध दावा पेश किया है व उस दावे में अस्थाई निषेधाज्ञा का आवेदन अनाधिकार रूप से पेश किया है जबकि रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 व झुमि के पूर्वजो का इस भूमि से कोई सरोकार हक अधिकार न तो कभी था न मौके पर कब्जा काश्त था न खातेदारी थी। यहां यह तथ्य दर्ज करना आवश्यक होगा कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने यह स्पष्ट कर दिया था कि प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 रेखाराम वगैरा व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 अलग अलग रहते हैं अलग ही काश्त करते है जगाराम के पुत्र शिवकरण व छोटूराम थे परंतु दोनों भाई सन 1990 में फौत हो चुका था, जगाराम का दुसरा भाई जवानाराम था, दोनों भाई ऐवड़ रखते थे व भेड़ बकरी पाल कर जीवन यायपन करते थे, जगाराम व जवानाराम गावं बांठडी के नहीं थे, गावं सांजु से आकर सन 1940 में गांव बांठडी में बस गए, प्रार्थीगण ने वंशावली सही नहीं दी व है व कुशालाराम की सही वंशावली जवाब के पैरा संख्या 2 में दर्शायी गई। शिवकरण की मृत्यु 2019 में नहीं हुई बल्कि संवत 2021 में हुई थी छोटूराम की मृत्यु 2010 में हुई थी शिवकरण के पुत्र हरदीनराम की मृत्यु 2031 में न होकर सम्वत 2035 जेठ सुदी दसम वार शुक्रवार को हुई, रामदीन की मृत्यु 2001 में हुई थी, नंदराम का स्वर्गवास दिनांक 5.11.2002 में हुआ उक्त समस्त खसरान की जमीन अकेले शिवकरण पुत्र जगाराम की अकेले की खातेदारी व कब्जा काश्त की थी जो पूर्व जागीरदार गावं बांठडी की जमीन थी, शिवकरन ही इस जमीन में अकेला काश्त करता था इसलिए यह जमीन शिवकरण की खातेदारी में रेकार्ड में संवत 2006 में दर्ज हुई और सन 1965 में रिसेटलमेंट के दौरान भी शिवकरण की खातेदारी में दर्ज हुई, जिसक, पर्चा लगान 54 व खाता नम्बर 55 है और 2021 में शिवकरण पुत्र जगाराम के नाम कुल खसरान की जमीन 173 बीघा 12 बिस्वा रेकार्ड में दर्ज थी सन 2010 से 2016 में जमीन का पट्टा शिवकरण के नाम से आया था शिवकरण के फौत होने पर उक्त जमीन का म्यूटैशन नम्बर 7133 भरा गया उक्त समय शिवकरण के पुत्र हरदीनराम व झुमरराम के नाम भी भराम जाना था मगर पटवारी, आर. आई, सरपंच ने बिना जांच किए म्यूटैशन में बिना अधिकार रामदीन पुत्र छोटूराम जोड़ दिया जो गलत म्यूटैशन भरा गया होने से अप्रार्थीगण को जानकारी होते ही म्यूटैशन के विरूद्ध अपील पेश कर

दी, इस प्रकार जमीन अकेले शिवकरण की थी, उसके मरने के बाद हरदीनराम व झुमरराम के वारीसान के कब्जा काश्त में रहती चली आई है इस जमीन की बिगोड़ी हमेशा शिवकरण ही देता था, शिवकरण के बाद बिगोड़ी हरदीनराम व झुमरराम ने दी है इस प्रकार उक्त जमीन अकेले अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के कब्जे काश्त व खातेदारी की पीढियों से रहती चली आई है इसमें छोटूराम व उसके पुत्र रामदीन व रामदीन के पुत्रगण रेखाराम, जेताराम, चेनाराम पत्नी झुमि का कभी कब्जा काश्त नहीं रहा है न ही मौजूदा में कब्जा काश्त है रामदीन की माता उसके जन्म के समय ही फौत हो चुकी थी वह अपने ननिहाल रताउ में रहता, ननिहाल में ही बड़ा हुआ वही वही शादी हुई, छोटूराम संवत 2010 में ही फौत हो गया था छोटूराम पहले भेड़ बकरिया चराता व उंटों का व्यापार करता था उसने कभी खेती नहीं की छोटूराम की औरत संवत 1983 में फौत हो चुकी थी जो रामदीन की माता थी, इसलिए रामदीन ननिहाल में रहा बांठड़ी आकर कब्जा काश्त नहीं किया, राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर बाले बाले म्यूटेशश्न भरवाये है जिससे प्रार्थीगण किसी प्रकार की घोषणा खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। प्रार्थीगण के कोई खेत बंट में नहीं है 2018 में बंट करने की बात गलत लिखी है अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 का कब्जा काश्त सींवे माठे है तथा इन्होंने दो हौद व दो पच्चासे, एक झुंपा बना रखे है तथा छरडिया का मुरडा पड़ा है अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 ने आपस में बंट कर रखा है जिसका बंटवाड़ा भी मौके पर किया हुआ है जिसके अनुसार झूमरराम, रामनिवास, हेमाराम, मेहराम, शिवराज, शांति का अलग अलग बंट बताया गया है तथा खसरा नम्बर 376 में हेमाराम ने 5 बिस्वा जमीन पुसाराम वगैरा को रास्ते के लिए बेचान की हुई है जो सही है। यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ने मौजूदा खतौनी में से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 7 झुमि का नाम हटाने हेतु अलग से घोषणा खातेदारी का दावा कर रखा है जो विचाराधीन है। इस प्रकार प्रार्थीगण या दीगर अप्रार्थीगण का इस जमीन में कोई हक हिस्सा बंट कब्जा खातेदारी नहीं है सम्पूर्ण जमीन अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की बंट कब्जा खातेदारी नहीं है सम्पूर्ण जमीन अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 की बंट कब्जा काश्त पुश्तैनी खातेदारी की रही है जो मौके व रेकार्ड से स्पष्ट है इस प्रकार सन 2010 से 2016 में जमीन का पट्टा शिवकरण के नाम से आया था, लेकिन उक्त प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट ने खातेदारी गलत दर्ज होने का मिथ्या कथन करके दावा व आवेदन पेश किया था। जबकि अपीलांट की ओर से उक्त रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की गलत खातेदारी दर्ज होने के संबंध में म्यूटैशन अपील व रेकार्ड दुरूस्ती व घोषणा आदि का दावा भी कर रखा है। इन सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए मात्र आदेशिका में ही फाईन फैसला करना कतई विधि सम्मत नहीं है धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रकरण के निस्तारण में लिए तीन महत्वपूर्ण बिंदु प्रथम दृष्टया मामला अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन तीनों का अलग अलग खुलासा विवरण विवेचन विश्लेषण करते हुए निर्णय करना आवश्यक होता है लेकिन प्रकरण हाजा की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होगा कि ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है यहां तक कि उक्त तीनों बिंदु प्रार्थीगण के पक्ष में हैं या नहीं है तो किस प्रकार है, इस संबंध में कुछ भी तथ्य दर्ज नहीं है सरसरी तौर पर ही मात्र गलत वनरे रेकार्ड की आड़ में अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश पारित करवाया गया है व उसकी आड़ में जबरन अपीलांट वगैरा की खातेदारी व कब्जाशुदा भूमि से उनको बेदखल कर रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 व झुमि वगैरा कब्जा करना चाहते है इस कारण आदेश जैर अपील स्थिर रहने

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

योग्य नहीं है खारिज किए जाने योग्य है अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डिडवाना के आदेश दिनांक 22.06.2018 द्वारा पारित निर्णय को निरस्त फरमाया जाने के आदेश प्रदान करावें।

6. रेस्पोडेंट के विद्वान अभिभाषक ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी। उक्त निर्णय न्याय आपके द्वारा में पारित आदेश है जिसकी हर किसी को सूचना रहती है तथा फैसला भी केवल पूर्ववर्ती किया गया है। अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर उक्त अपील को मियाद बाहर प्रस्तुत किया जाने से निरस्त किया जाए।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस में कथन किया कि उक्त खेतों में कब्जा काश्त जगाराम का रहा है तथा उनके स्वर्गवास क बाद उनके दोनों पुत्र शिवकरण व छोटूराम का कब्जा काश्त वर्षो तक रहा है। तथा दोनों सामलाती में रहते सामलाती में काश्त करते थे तथा शिवकरण की मृत्यु बाद उनके पुत्र हरदीनराम व झुमरराम तथा छोटूराम के पुत्र रामदीन भी सामलाती में रहकर सामलाती मं ही काश्त करते थे तथा संयुक्त परीवर में शिवकरण सबसे बड़ा व कर्ता खानदान व होशियार व्यक्ति था। तथा छोटूराम कि मृत्यु शिवकरण कि मृत्यु से करीब 9 वर्ष पहले हुई थी। तथा शिवकरण की खातेदारी दर्ज होने के समय छोटूराम नाबालिक था तथा वह करीब 15 वर्ष तक अपने ननिहाल रताउ रहा था। इसलिए खातेदारी में छोटूराम का नाम दर्ज नहीं हो पाया तथा बाद में सन् 2001 में रामदीन की मृत्यु होने पर उक्त खेतों की खातेदारी में वादी नम्बर 7 झुमी व प्रतिवादीगण की खातेदारी बाद जांच दर्ज हो गई, लेकिन प्रतिवादीगण व वादीगण की खातेदारी उक्त खेतों में 1/2 हिस्सा दर्ज होनी चाहिए थी, लेकिन गलती से प्रतिवादीगण व वादीगण के हिस्सों का खुलासा नहीं किया तथा स्वर्गीय शिवकरण के वारिसान की खातेदारी में 1/2 हिस्सा व स्व0 छोटूराम के वारिसान का 1/2 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने चाहिए थी उक्त भूमि पैतृक है तथा उक्त भूमि में पक्षकारान के 1/2–1/2 हिस्सों का अंकन राजस्व रिकार्ड में नहीं होने से वादी के मन में लालच आ गया है और वे प्रतिवादीगण को उक्त भूमि में से 1/2 हिस्सों की खातेदारी करवाने से इंकार है। जबकि प्रतिवादीगण उक्त भूमि में से 1/2 हिस्सों की घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारी है। अतः प्रतिवादीगण को दावा बाबत घोषणा खातेदारी का करना लाजमी आया है तथा साथ वाद पत्र के कथनानुसार प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया गया है जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 4.8.2010 को उभयपक्ष को विवादित आराजी खसरा नम्बर 222, 376, 413/475, 418, 439 व 212 के राजस्व रिकार्ड की यथा स्थिति के आदेश दिए थे। प्रार्थना पत्र 212 के तीन प्रमुख तत्व प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण/वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 3 के पक्ष में पाए जाने से दिनांक 4.8.2010 को जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वाद तक कन्फर्म किया है। जो विधि सम्मत है माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद

अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर निर्णय करना उचित समझते हैं। अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथन संतोषजनक एवं सद्भाविक प्रतीत होने से उक्त प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील पर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना उचित समझते हैं। **अतः अपील के साथ संलग्न धारा 5 के प्रार्थना पत्र को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

9. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को के क्रम में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली का निर्णय लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में प्रस्तुत हुई जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों को समुचित रूप से साक्ष्य एवं सुनवाई का बिना अवसर प्रदान किए उक्त आदेश दिनांक 22.6.2018 पारित किया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 22.6.2018 में अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के निर्णय में तीन मुख्य बिंदु प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन, एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदुओं पर पूर्ण रूप से विवेचन नहीं कर विस्तार से निर्णय पारित नहीं किया जाकर सरसरी तौर से उक्त आदेश पारित किया गया है। उक्त अपील आंशिक स्वीकार योग्य पाई जाने से उक्त अपील को आंशिक स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.6.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाना उचित समझते है।

10. अतःउक्त अपील आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.6.2018 को निरस्त किया जाकर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किए जाता है कि वे सभी पक्षकारों को समुचित रूप से साक्ष्य एवं सुनवाई का समान अवसर प्रदान कर उक्त प्रकरण बाबत पुनः नए सिरे से अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिंदुओं पर विस्तृत एवं विवेचित निर्णय पारित करें तब तक उभयपक्ष विवादित आराजीयात बाबत राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाए रखेंगे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तत्समय पारित आदेश के अनुसार हाजा न्यायालय का आदेश तदनानुसार स्वतः ही निष्प्रभावी माना जाएगा।पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.11.2022 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 01.11.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर